अनुस्मारक
ई0मेल0 / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इंजी0 /
डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2026 / 6956 **लखनऊः दिनांकः** 19-01-2026

विषयः <u>प्रदेश के निजी पॉलीटेक्निक संस्थाओं (इंजीनियरिंग / फार्मेसी) में एस0आई0आर0एफ0 (SIRF) रैंकिंग किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र संख्याः प्राशिप / परिषद / 2026 / 6697, दिनांकः 14.01.2026 **(संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर के पत्र दिनांकः 14.01.2026 के अनुक्रम में आप सभी को निर्देशित किया गया था कि अपने—अपने संस्थान से संबंधित सूचना **(01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक की सूचना)** यू—राईज पोर्टल पर दिनांकः **<u>17.01.2026 के पूर्व</u>** अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे आपके संस्थान की (SIRF) रैंकिंग प्रदर्शित की जा सके, परन्तु यह अत्यन्त खेद का विषय है कि अधिकांश निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों (इंजीनियरिंग / फार्मेसी) द्वारा यू—राईज पोर्टल पर आतिथि तक अपने संस्थान से संबंधित आवश्यक डाटा अद्यतन नहीं किया जा रहा है।

अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने—अपने संस्थान से संबंधित सूचना **(01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक की सूचना)** दिनांकः **<u>20.01.2026 तक</u>** अनिवार्य रूप से यू—राईज पोर्टल पर लॉगिन कर समस्त सूचना भरकर डेटा अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे आपके संस्थान की (SIRF) रैंकिंग प्रदर्शित की जा सके। यदि आपके द्वारा निर्धारित समयावधि तक अपने संस्थान का डेटा यू—राईज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया

जाता है तो शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए सम्बद्धता विस्तार पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा। उक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप/परिषद/2026/6957-62 **तद्दिनांकः** 19-01-2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ।
2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त नोडल प्रधानाचार्य, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

ई0मेल0 / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इंजी0 /
डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाएं।

पत्रांकः–प्राशिप / परिषद / 2026 / 6697 **लखनऊःदिनांक–** 14/01/2026

विषयः–प्रदेश के निजी पालीटेक्निक संस्थाओं (इंजीनियरिंग / फार्मेसी) में एस0 आई0आर0एफ0 (SIRF) रैंकिंग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या I/418907 /2026/ई–प्रशा0–विविध दिनांक 14–01–2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (संलग्न), जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य संस्थागत रैकिंग फ्रेमवर्क (SIRF) राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में लागू किया जा चुका है। इसी क्रम में, राजकीय/अनुदानित संस्थाओं की भांति **निजी पालीटेक्निक (इंजीनियरिंग / फार्मेसी) संस्थानों** में भी (SIRF) रैंकिंग लागू किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या 106/2025/आई/1086327 /2025/16–3099/154/2025 दिनांक 12–09–2025 द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन में निर्देश प्रदान किये गये हैं। परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि निजी पालीटेक्निक संस्थानों (इंजीनियरिंग / फार्मेसी) द्वारा यू–राइज पोर्टल पर अपने संस्थान से संबंधित आवश्यक डाटा अद्यतन नहीं किया जा रहा है। इस हेतु पुनः निर्देशित करते हुए **दिनांक 17–01–2026 से पूर्व** अनिवार्य रूप से आवश्यक सूचनाएं यू–राईज पोर्टल पर अपलोड किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के संबंध में पुनः अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या 106/2025/आई/1086327/2025/16–3099/154/2025 दिनांक 12–09–2025 द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं (संलग्न), जिसके अंतर्गत शासनादेश के पृष्ठ संख्या–3 में निम्नवत् उल्लेख किया गया है –

(8) प्रदेश के समस्त निजी पालीटेक्निक संस्थान वर्ष में दो बार SIRF पोर्टल पर मूल्यांकन हेतु आवेदन करेंगेः–

- 01 जनवरी से 30 जून (आवेदन करने का माह–जुलाई)
- **01 जुलाई से 31 दिसम्बर (आवेदन करने का माह–जनवरी)**

नोट– **माह जनवरी–2026 में 01 जुलाई 2025 से 31 दिसम्बर 2025 स्लैब के लिए SIRF पोर्टल पर मूल्यांकन हेतु आवेदन किया जाएगा।**

सूच्य है कि माह जनवरी 2026 वर्तमान में चल रहा है। जिसके अंतर्गत 01 जुलाई से 31 दिसम्बर स्लैब की सूचना यू–राईज पोर्टल पर अपलोड की जानी है, परंतु अधिकांश संस्थानों द्वारा अभी तक उक्त सूचना अपलोड नहीं की गयी है।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर के उक्त पत्र दिनांक 14–01–2026 के अनुक्रम में आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने संस्थान से संबंधित सूचना (**01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक की सूचना)** यू–राईज पोर्टल पर **दिनांक 17 जनवरी 2026 के पूर्व** अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे आपके संस्थान की रैंकिंग प्रदर्शित की जा सके। सूचना भरते समय शासन के संलग्न संदर्भित पत्र दिनांक 12–09–2025 में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करना सुनिश्चित करें। **यदि आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में अपने संस्थान का डेटा यू–राईज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है तो शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए सम्बद्धता विस्तार पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा।**

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0 प्राशिप/परिषद/2025/6698–6705 **तद्दिनांक–** 14/01/2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
4. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
6. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
7. रजिस्ट्रार–कम–सेक्रेटरी, फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

अतिमहत्वपूर्ण/ई-मेल

प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी पालीटेक्निक संस्थान (इंजीनियरिंग/फार्मेसी),
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-I/418907/2026/ई-प्रशा0-विविध कानपुरदिनांक14-01-2026

विषयः- प्रदेश की राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी पालीटेक्निक संस्थाओं (इंजीनियरिंग/फार्मेसी) में एसआईआरएफ (SIRF) रैंकिंग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-106/2025/आई/1086327/2025/16-3099/154/2025, दिनांक 12.09.2025 तथा निदेशालय के पत्रांक-I/10584/2026/ई-प्रशा0-विविध, दिनांक 08.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 12.09.2025 द्वारा राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं की भाँति पीपीपी / निजी / अन्य पॉलिटेक्निक संस्थानों (इंजीनियरिंग / फार्मेसी) में भी एसआईआरएफ (SIRF) रैंकिंग कराए जाने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन के निर्देश प्रदान किए गए हैं। परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों (इंजीनियरिंग/फार्मेसी) द्वारा यू-राइज पोर्टल पर अपने संस्थान से संबंधित आवश्यक डेटा अद्यतन नहीं किया जा रहा है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने संस्थान से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएँ यू-राइज पोर्टल पर दिनांक 17 जनवरी, 2026 से पूर्व अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे आपके संस्थान की एसआईआरएफ (SIRF) रैंकिंग प्रदर्शित की जा सके। सूचनाएँ भरते समय शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 12.09.2025 में उल्लिखित समस्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

यदि आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में अपने संस्थान का डेटा यू-राइज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संबद्धता विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Digitally signed by
AZEEZ AHMAD
Date: 14-01-2026
14:31:37

(अजीज अहमद)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. सयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि अपने नियंत्रणाधीन समस्त संस्थानों को एसआईआरएफ (SIRF) नामांकन/फार्म भरने के लिए अपने स्तर से निर्धारित समयावधि में भरने हेतु निर्देशित करें।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से कि निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देशित करें।
5. समस्त नोडल प्रधानाचार्य, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 को इस आशय के साथ कि अपने जनपद के समस्त संस्थानों से समन्वय् स्थापित कर एसआईआरएफ (SIRF) नामांकन/फार्म भरवाना सुनिश्चित करें।

(अजीज अहमद)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

ई-मेल
शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण
संख्या-106/2025/आई/ 1086327/2025/16-3099/154/2025

14425
210नि.(...)
fwd ...
15/9/25

प्रेषक,

विनोद कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ** **दिनांकः 12 सितम्बर, 2025**

332

विषयः- राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी /अन्य पालीटेक्निक संस्थाओं में राज्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (SIRF) का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

15/9/25

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिप्लोमा सेक्टर के अन्तर्गत संचालित राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी /अन्य पालीटेक्निक संस्थाओं का निर्धारित मानक यथा फैकल्टी की उपलब्धता, छात्र-शिक्षक अनुपात, प्लेसमेंट, इंडस्ट्री सहयोग, शोध व नवाचार के आधार पर मूल्यांकन करते हुए रैंकिंग किये जाने की आवश्यकता है, जिससे संस्थाओं के मध्य प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार हो व उनकी जबावदेही बढ़े तथा छात्रों व अभिभावकों के लिए अधिक पारदर्शी जानकारी उपलब्ध हो सके। ऐसे रैंकिंग फ्रेमवर्क से उच्च रैंक प्राप्त करने हेतु संस्थाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है तथा वे अपने शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अधोसंरचनात्मक पहलुओं को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करते है।

2. उच्च रैंक प्राप्त संस्थाओं को उद्योगों से MoU, CSR आधारित प्रोजेक्टस और इंटर्नशिप/ प्लेसमेंट के अवसर आसानी से प्राप्त होते है। रैंकिंग प्रक्रिया में यह भी संकेत मिलता है कि किन संस्थाओं को अतिरिक्त संसाधन, आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरुम इत्यादि की आवश्यकता है तथा इस आधार पर बजट और संसाधन का न्यायसंगत वितरण किया जा सकता है। रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं की प्रतिष्ठा और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। इससे उन्हें ए0आई0सी0टी0ई0/राष्ट्रीय निकायों से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं मॉडल पॉलीटेक्निक का दर्जा प्राप्त हो सकता है।

3. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिप्लोमा सेक्टर के अन्तर्गत संचालित राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं की रैंकिंग किये जाने हेतु राज्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (SIRF) लागू कर दिया गया है तथा राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक की भाँति पी0पी0पी0/निजी /अन्य पालीटेक्निक संस्थाओं में भी (SIRF) लागू किया जाना है। इस हेतु SIRF पोर्टल भी विकसित कर लिया गया है। SIRF मात्र संस्थाओं का मूल्यांकन ही नहीं करता है बल्कि यह संस्थाओं को लगातार अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने और बेहतर से बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित कर रहा है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिप्लोमा सेक्टर के अन्तर्गत संचालित राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी /अन्य पालीटेक्निक संस्थाओं के लिए राज्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (SIRF) तैयार किये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की जाती हैः-

(1) राज्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (SIRF) में रैंकिंग हेतु मुख्यतः निम्नलिखित तीन श्रेणियों पर संस्थाओं का आकलन किया जायेगाः-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i)शिक्षण, अधिगम और संसाधन

- संकाय गुणवत्ता और सहभागिता
- बुनियादी ढ़ाचे की गुणवत्ता
- पाठ्येतर गतिविधियाँ
- परीक्षा और मूल्यांकन गतिविधियाँ

(ii) प्रयोगात्मक, परियोजना, अनुसंधान उत्पादकता और उनका प्रभाव

- प्रयोगशाला/परियोजना सत्र सूचकांक
- शोध प्रकाशन
- कार्यशाला और सेमिनार

(iii) डिप्लोमा परिणाम

- डिप्लोमा दरें
- कैंपस और प्लेसमेंट गतिविधियाँ
- स्टार्टअप और नवाचार

(2) SIRF पोर्टल का क्रियान्वयन यूराईज पोर्टल पर निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 के निर्देशों के अन्तर्गत किया जाएगा।

(3) प्रत्येक संस्था में वरिष्ठ अधिकारी/विभागाध्यक्ष SIRF पोर्टल के नोडल अधिकारी होंगे, जो कि SIRF पोर्टल पर अद्यतन सूचना को भरने का कार्य करेंगे।

(4) मूल्यांकन हेतु भरे गये डेटा में किसी भी त्रुटि के लिए संबंधित संस्था के निदेशक/प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे।

(5) प्रदेश के समस्त सरकारी/सहायता प्राप्त/पी0पी0पी0 पॉलिटेक्निक/अन्य संस्थान निम्नलिखित माह स्लैब के लिए SIRF पोर्टल पर मूल्यांकन हेतु वर्ष में चार बार आवेदन करेंगेः-

- 1 जनवरी से 31 मार्च (आवेदन करने का माह-अप्रैल)
- 1 अप्रैल से 30 जून (आवेदन करने का माह-जुलाई)
- 1 जुलाई से 30 सितम्बर (आवेदन करने का माह-अक्टूबर)
- 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर (आवेदन करने का माह-जनवरी)

(6) प्रदेश के समस्त सरकारी/सहायता प्राप्त/पी0पी0पी0 पॉलीटेक्निक/अन्य संस्थानों के दस्तावेजों का परीक्षण निम्नलिखित माह में किया जाएगाः-

- मई (आवेदन करने का माह-अप्रैल)
- अगस्त (आवेदन करने का माह-जुलाई)
- नवम्बर (आवेदन करने का माह-अक्टूबर)
- फरवरी (आवेदन करने का माह-जनवरी)

(7) प्रदेश के समस्त सरकारी/सहायता प्राप्त/पी0पी0पी0 पॉलीटेक्निक/अन्य संस्थानों के दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित माह में संस्थाओं की रैंकिंग जारी की जाएगीः-

- 15 जून

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- 15 सितम्बर
- 15 दिसम्बर
- 15 मार्च

(8) प्रदेश के समस्त निजी पॉलीटेक्निक संस्थान वर्ष में दो बार SIRF पोर्टल पर मूल्यांकन हेतु आवेदन करेंगे:

- 1 जनवरी से 30 जून (आवेदन करने का माह-जुलाई)
- 1 जुलाई से 31 दिसम्बर (आवेदन करने का माह-जनवरी)

(9) प्रदेश के समस्त निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों के दस्तावेजों का परीक्षण निम्नलिखित माह में किया जाएगा:-

- अगस्त (आवेदन करने का माह-जुलाई)
- फरवरी (आवेदन करने का माह-जनवरी)

(10) प्रदेश के समस्त निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों के दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित माह में संस्थाओं की रैंकिंग जारी की जाएगी:

- 15 सितम्बर (आवेदन करने का माह-जुलाई)
- 15 मार्च (आवेदन करने का माह-जनवरी)

(11) प्रदेश के समस्त सरकारी/सहायता प्राप्त/पी0पी0पी0 पॉलीटेक्निक/अन्य/ निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों द्वारा मूल्यांकन के लिए जमा किये गये दस्तावेजों की जाँच निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 के द्वारा नामित अधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं द्वारा किया जाएगा, जो कि संबंधित जोन के नहीं होंगे।

(12) समस्त संस्थानों के लिए निर्धारित तिथि तक SIRF पोर्टल पर वास्तविक अद्यतन डेटा भरना अनिवार्य होगा।

(13) निर्धारित तिथि के बाद SIRF पोर्टल बंद हो जाएगा जिसके उपरान्त सूचना को भरना संभव नहीं होगा।

(14) मूल्यांकन कार्य के दौरान यदि किसी संस्था की सूचना में कोई त्रुटि पाई जाएगी तो संबंधित संस्था के पोर्टल को एक निश्चित तिथि तक सूचना अद्यतन के लिए फिर से खोला जाएगा। संस्था को नियत तिथि तक सूचना को अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

(15) जो संस्थान नियत तिथि तक SIRF पोर्टल पर अपनी जानकारी जमा नहीं करेंगे, उन्हें शून्य अंक दिए जाएंगे और रैंकिंग में अंतिम स्थान पर रखा जाएगा।

(16) SIRF में प्रतिभाग लेने वाले समस्त सरकारी/सहायता प्राप्त/पीपीपी/निजी संस्थानों/अन्य संस्थानों को उनके द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर A, B, C और D समूहों में विभाजित किया जाएगा। समूह के मानदंड इस प्रकार होंगे:-

क्रम संख्या	अंक सीमा	समूह
1	0 से 25	D
2	26 से 50	C
3	51 से 75	B
4	76 से 100	A

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) प्रथम बार D समूह के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के समस्त पॉलीटेक्निक संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। जिसमें D समूह में आने वाली समस्त संस्थाओं को इस समूह में आने के कारणों का स्पष्टीकरण देना होगा।

(18) लगातार तीन बार D समूह में आने पर सरकारी/सहायता प्राप्त/पीपीपी/अन्य पॉलीटेक्निक संस्थानों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों को संबद्धता/मान्यता प्रदान नहीं किये जाने पर विचार किया जाएगा।

(19) समस्त पॉलीटेक्निक संस्थानों द्वारा भरी जाने वाली अद्यतन सूचना का समय-समय पर संस्था में भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में संस्था के प्रधानाचार्य/संस्था स्तर पर SIRF पोर्टल हेतु नामित नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

कृपया राज्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (SIRF) हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

विनोद कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
3. निजी सचिव, सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सचिव महोदय के अवगतार्थ।
4. निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री विनोद कुमार/श्री अजीज अहमद), प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
5. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी/अन्य पालीटेक्निक। (द्वारा निदेशक, प्रा0शि0)

आज्ञा से,

विनोद कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उ0प्र0, कानपुर।

पृ0सं0-I/275722/2025/ई-प्रशा0-विविध, दिनांक-16-09-2025

प्रतिलिपि विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 106/2025/आई/1086327/2025/16-3099/154/2025 दिनांक-12.09.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को शासन के पत्र संख्या 106/2025/आई/1086327/2025/16-3099/154/2025 दिनांक-12.09.2025 के संदर्भ में।
2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली समस्त संस्थाओं राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी/अन्य पालीटेक्निक संस्थाओं में राज्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (SIRF) का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में शासन के संदर्भित पत्र दिनांक-12.09.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि शासन के संदर्भित पत्र दिनांक-12.09.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
7. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी/अन्य पालीटेक्निक संस्थाओं में राज्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (SIRF) का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में शासन के संदर्भित पत्र दिनांक-12.09.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
KAMLESH MANI
Date: 16-09-2025
12:04:47

(कमलेश मणि)
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी पालीटेक्निक संस्थान

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-I/410584/2026/ई-प्रशा0-विविध दिनांक-08-01-2026

विषयः- प्रदेश की राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी पालीटेक्निक संस्थाओं (इंजीनियरिंग शाखा) में एसआईआरएफ (SIRF) रैंकिंग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-106/2025/आई/1086327/2025/16-3099/ 154/2025, दिनांक-12.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 12.09.2025 द्वारा राजकीय/अनुदानित संस्थाओं की भाँति पीपीपी/निजी/अन्य पालीटेक्निक संस्थानों में भी एसआईआरएफ (SIRF) रैंकिंग किये जाने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने संस्थान से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएँ यू-राइज पोर्टल पर दिनांक 31 जनवरी, 2025 से पूर्व अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें जिससे आपके संस्थान की एसआईआरएफ (SIRF) रैंकिंग प्रदर्शित की जा सके। सूचना भरते समय शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 12.09.2025 में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Digitally signed by
AZEEZ AHMAD
Date: 08-01-2026
15:22:15

(अजीज अहमद)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से कि निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देशित करें।
4. श्री अशोक एवं अन्य यू-राइज टीम को इस आशय से कि एसआईआरएफ (SIRF) रैंकिंग हेतु नामांकन/फार्म भरने के लिए यू-राइज पोर्टल को सक्रिय करें।
5. श्री विकल्प, श्री सुनील को इस आशय से कि यू-राइज पोर्टल पर भरे गए विवरण का परीक्षण कर नियमानुसार क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(अजीज अहमद)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।